:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–07 / 2023

सुन्दरलाल पुत्र तेजा जाति मीणा उम्र बालीग निवासी पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

–वादी

बनाम

1 मंशा पुत्र हलीया जाति मीणा
2 मोतीलाल पुत्र मावजी जाति मीणा
3 रामगोपाल पुत्र मावजी जाति मीणा
4 गंगाराम पुत्र मावजी जाति मीणा
5 हीरालाल पुत्र शंकर जाति मीणा
6 कांति पिता सुरमाल जाति मीणा
7 सोमा पुत्र हलीया जाति मीणा
8 रामा पुत्र हरजी जाति मीणा
9 अमृत पुत्र हरजी, जाति मीणा
10 धनेश्वर पुत्र हरजी जाति मीणा
11 दिनेश पुत्र भगवान जाति मीणा
12 नाथी पत्नी सुरमाल जाति मीणा
13 मणि पुत्री सुरमाल जाति मीणा
14 लक्ष्मीचन्द्र पुत्र सुरमाल जाति मीणा
15 शारदा पुत्री सुरमाल जाति मीणा
16 हांजा पुत्र सुरमाल जाति मीणा निवासीयान पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
17 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल डूँगरपूर

–प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 92क, 209 रा.का. अधिनियम

उपस्थित :–

1 **श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी।**
2 **श्रीकान्त जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण।**

:: निर्णय :: दिनांक 15 / 05 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे का त की भूमि गॉव घोडाखरा के जमाबन्दी खाता सख्या 219 कें खसरा सख्या 1347, 1348 का रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टैयर कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि है जिसमें वादी एवं उसके भाई प्रतिवादी सुरमाल की माता हीर पत्नी तेजा की मृत्यु हो जाने से 1 / 16 हिस्सा आता है कि हाल जमाबन्दी में दर्ज नाम मावजी, शंकर, हरजी, एवं हीर की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान को पक्षकार बनाया गया है कि वादग्रसत आराजी में मौके पर आपसी बटवारा हो चुका है उसी अनुरूप मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, किन्तु रिकार्ड में बटवारा

Scanned with OKEN Scanner

नहीं होने के कारण कई प्रकार से कार्य नहीं हो पाते है तथा आपस में सहमति लेने की आवश्यकता पडती है तथा असहमति होने पर आवश्यक सरकारी काम काज रूक जाते है। कि वादग्रस्त आराजी जो बिन्दु संख्या 1 में वर्णित की गई है, जिस पर वादी के पिता के जीवनकाल से मौके पर आपसी बटवारे किए हुए है, इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्से में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। कि वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आपसी बटवारे/काबिज अनुसार रिकार्ड में बटवारा कर रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। कि वादी व प्रतिवादीगण का मौके पर आपसी बटवारा किया हुआ है, किन्तु रिकार्ड में दर्ज नहीं है, वादी द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि तहसील कार्यालय जाकर वादग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड बटवारा करवाते है, जिस पर प्रतिवादीगण तहसील कार्यालय में नहीं आ रहे है तथा बार–बार टालम टोल किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे रिकोर्डेड बटवारा नहीं करवाना चाहते है। इस प्रकार वाद हेतुक निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बटवाडा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। कि वाद ग्रस्त भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के बटवारे हो जाने पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काश्त कर सकेगे। ऐसी परिस्थिति मे वादी का वाद ग्रस्त भूमि मे से हिस्सा अलग किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे ताकि वादी अपनी इच्छानुसार काश्त कर उपज प्राप्त कर सके। कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विक्रय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता है या किस्म परिवर्तन कराई जाती है तो विकय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावें। कि वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद के कालम सं 1 मे किया है वाद मे अंकित व राजस्व रेकार्ड अनूसार वादी का हिस्सा अलग किया जाकर बटवारा कायम किया जाकर भूमि अलग अलग खाते दर्ज किये जाने डिक्री प्रदान की जानी आवश्यक है। अतः वादी वाद प्रस्तुत कर निम्न दादरसी चाहता है:–

क––––कि वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद के कालम सं 1 मे किया है गॉव घोडाखरा कें जमाबन्दी खाता सख्या 219 कें खसरा सख्या 1347, 1348 का रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि है, मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार वादी का हिस्सा अलग किया जाकर बटवारा कायम किया जाकर भूमि अलग अलग खाते दर्ज किये जाने डिक्री प्रदान की जानी आवश्यक है। ख–––– कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विकय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता है या किस्म परिवर्तन कराई जाती है तो विकय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावें। ग––– कि धारा 209 रा.का.अधि. के तहत सहायता दी जावें ।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 1 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त जैन ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, वादी एवं प्रतिवादीगण ने बटवारा कर खाते अलग अलग कायम कराने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी गंगाराम की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान

निखील पुत्र गंगाराम, निशा पुत्री गंगाराम, गंगादेवी पत्नी गंगाराम हीरालाल, मंशा, मोतीलाल, रामगोपाल, कान्तीलाल सोमा, रामा अमृत पुत्र हरजी, धनेश्वर पिता हरजी, दिनेश, नाथी, मणी, लक्ष्मीचन्द शारदा व हांजा की ओर से निवेदन निम्न है यह कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच आपसी राजीनामा हो गया है तदनुसार जमाबन्दी में वर्णित खाते हिस्से अनुसार, इनके वारीस के नाम नामान्तरण प्रमाणित कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे। उसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है, मौके पर पूर्व में आपसी बटवारा हो गया है तदनुसार काबीज होकर काश्त कर है। अतः प्रार्थना है कि राजीनामा तस्दीक कर बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने का होने से वादी का वाद स्वीकार किया गया।

अतः गांव घोडाखरा कें जमाबन्दी खाता सख्या 219 कें खसरा सख्या 1347, 1348 का रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टैयर कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि वादी–प्रतिवादीगण की है, प्रतिवादी गंगाराम की मृत्यु होना दर्शित किया है, प्रतिवादी गंगाराम के वारीसानो के नाम नामान्तरण तस्दीक कर, वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त एवं जमाबन्दी दर्ज हिस्से को ध्यान में रखते हुए बटवारा किया जावे। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया जाता है वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो के कब्जे काश्त के अनुसार तैयार कर, विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त होने वाली भूमि में वादी के शान्ती पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

बटवारे के वाद में प्राथमिक डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री राकेश कुमार न्योल .

श्री सुन्दरलाल बनाम मंशा आदि

दावा बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण सख्याः– 07 / 2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल उपस्थित और प्रतिवादीगण की ओर से श्रीकान्त जैन अधिवक्ता। आज दिनांक 15 / 05 / 2024 को पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल के समक्ष बटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर डिकी जारी की जाती है।

गॉव घोडाखरा कें जमाबन्दी खाता सख्या 219 कें खसरा सख्या 1347, 1348 का रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टैयर कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि वादी–प्रतिवादीगण की है, प्रतिवादी गंगाराम की मृत्यु होना दर्शित किया है, प्रतिवादी गंगाराम के वारीसानो के नाम नामान्तरण तस्दीक कर, वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त एवं जमाबन्दी दर्ज हिस्से को ध्यान में रखते हुए बटवारा किया जावे। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया जाता है वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो के कब्जे काश्त के अनुसार तैयार कर, विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त होने वाली भूमि में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

यह आज दिनाक 15 / 05 / 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 गदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खर्चा गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner